# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

**पंचम् झारखण्ड विधान-सभा**
**दशम् (शीतकालीन) सत्र**

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक-20/12/2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | श्री नलिन सोरेन स0वि0स0 | राज्य में पशुधन से गरीब, पिछड़े वर्ग/आम लोगों के आर्थिक उन्नयन की असीम संभावना है तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है तथा राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए "मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना" चलायी जा रही है। राज्य में पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, परन्तु अधिकांश पशुओं की उत्पादन क्षमता कम है। देश के अन्य राज्यों यथा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, प0 बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, हरियाना, पंजाब, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तेलांगना आदि राज्यों में " पशु विज्ञान विश्वविद्यालय" स्थापित है। राज्य में व्यवसायिक पशुपालन की अपार संभावना है। नई तकनीक का उपयोग कर पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना समय की मॉग है। राज्य की बढ़ी आबादी मुर्गी, बकरी, गाय, सुअर, भैस, भेड़ पालन कर अपना जीविकोपार्जन करते है। पशुधन विकास हेतु 01 दिसम्बर, 2022 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "राज्य सरकार वेटनरी यूनिवर्सिटी" | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | स्थापित करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। बी0ए0यू0 के राँची वेटनरी कॉलेज के 62वाँ स्थापना दिवस समारोह में सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार में यह निर्णय लिया गया है अतः अनुरोध होगा कि राज्य में बड़े पैमानें पर पशुधन के विकास के लिए पशू उत्पाद जैसे दूध, अण्डा, मॉस एवं ऊन उपलब्धि के लिए एवं अत्याधुनिक पशू चिकित्सा विज्ञान तकनीक का हस्तांतरण उन्नत किस्म के पशुओं के उत्पादन व राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए" झारखण्ड पशु विज्ञान विश्वविद्यालय" (JASU) के स्थापना करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | |
| 03- | श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 | मेरे बोकारों विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत बी0एस0 सिटी, कुंडोरी, महुआर, चैताटांड, पंचौरा, कनारी, शिबूटांड, कटका, महेशपुर, आगरडीह, बेलडीह, बनसिमली, धनगाड़ी, सरसाडीह, जमुनीयाटॉड पिपराटांड, वेधमारा, कनफट्टा, कंचनपुर, आजाद नगर, झोपड़ी कॉलोनी, माराफारी, कुर्मीडीह, गोल मार्केट, लकड़ाखनदा, रेलवे कॉलोनी, कर्नल मार्केट, जरीडीह, आसनसोल, सहित उत्तरी एवं दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र के सभी गॉव एवं टोलों एवं गेमन कॉलोनी, जोशी कॉलोनी, भसीन कॉलोनी घोइचा टोला, आहर टोला, जटांग, टोला फंब्रिकेशन, सहित बोकारों नन सेक्टर की सभी वस्तियों, इत्यादि में शुद्ध पेयजल का भारी संकट है और अबतक इन क्षेत्रों को जल जीवन मिशन के तहत् नल से जल योजना के तहत नहीं जोड़ा गया है।<br>अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मॉग करता हूँ कि व्यापक जनहित में उक्त क्षेत्रों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल योजना के तहत जोड़ते हुए यहाँ शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाया जाय। | पेयजल एवं स्वच्छता |

कृ0पृ0उ0-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| 03- | श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 | झारखण्ड के स्थानीय नवजवानों को निजी कम्पनियों की सेवाओं में भागीदारी मिले, इस हेतु सरकार ने "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम- 2021" एवं इसकी नियमावली- 2022 अधिसूचित की है। उक्त नियमावली के तहत सरकार द्वारा अभिहीत पोर्टल पर निजी क्षेत्र के कम्पनियों को निबंधन कराना अनिवार्य है। साथ ही कार्यरत कर्मचारी जिनके मानदेय 40,000/-रू0 से कम है उसकी पूरी सूची का भी निबंधन 3 महीने के अंदर कराना अनिवार्य है ताकि कार्यरत कर्मचारियों में 75% स्थानीय नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और राज्य अनुश्रवन समिति को इस अधिनियम के अनुपालन के लिए जबाबदेह ठहराया गया है। लेकिन अब तक कठोरता से अधिनियम न लागू होने से स्थानीय नौजवान इससे मिलने वाले लाभ से वंचित है।<br>अतः सरकार का उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। | श्रम नियोजन, प्रशिक्षण |
| 04- | डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0 | सम्प्रति पूरे राज्य में लाखों उपभोक्ताओं के द्वारा सहारा इण्डिया में लगभग 500 अरब रूपये से ज्यादा का निवेश/जामा किया गया है। जिसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजुद सहारा इण्डिया के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं जिसके कारण कई उपभोक्ता आत्महत्या करने को विवश हो रहे है। जबकि सहारा कि सहकारी समितियों का भुगतान का आदेश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव सोसायटियों को आदेश सं0-Hon'ble Delhi high court in W.P.No- 669/2021-Sahara Credit Cooperative Society Ltd. W.P/No-670/2021-Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd,Vs, Union of india has | वित्त |

क्र० पृ० उ०-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | passed and order dated 23/03/2022 को किया गया इस आदेश के बाद भी सहारा समूह भुगतान नहीं कर रहा हैं जो की माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का उल्लघन हैं। साथ ही जनहित में राज्यहित में बिलकुल ही उचित नहीं है।<br>अतः मैं सरकार से सदन के माध्यम से सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश के सहारा इण्डिया के उपभोक्ता के निवेश किये गये या जमा राशि का भुगतान कराने की मॉग करता हूँ। | |
| 05. | श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0, श्री मथूरा प्रसाद महतो, स0वि0स0, श्री सुखराम उराँव, स0वि0स0 | झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है; उक्त नियमावली में 30 दिनों के अंदर हर नियोक्ता को निबंधन कराने एवं तीन माह के अन्दर निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रूपये या इससे कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने का प्रावधान किया गया है इसके बावजूद वर्तमान समय मात्र 283 कंपनियों ने ही पंजीयन कराया है, वही दूसरी ओर झारखण्ड राज्य नवनिर्माण काल से सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले कम्पयूटर प्रशिक्षक,स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले नर्स वार्ड ब्वाय, सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने वाले युवक युवतियॉं, कार्यालय में कार्य करने वाले युवा तथा सफाई कर्मियों एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में विभिन्न तरह के कार्यो हेतु मानव श्रम उपलब्ध कराने वाले विभिन्न एर्जेसियों द्वारा मानव श्रम उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः शिकायत प्राप्त हो रहा है कि मानवश्रम उपलब्ध कराने वाले एजेसियों द्वारा युवकों एवं युवतियों से कार्य लगाने के नाम पर एक बड़ी राशि की मॉंग की जाती है, उसके बाद भी कर्मियों का ससमय पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 का पैसा प्रति माह जमा नहीं जाता है | श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण |

ह0 प्र0 उ0 –

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | तथा श्रम विभाग के मानक मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। नौकरी जाने के भय से कार्य करने वाले लोगों द्वारा उचित फोरम पर इस बात की शिकायत नहीं की जाती है।<br>अतएव स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 के अनुरूप पंजीयन नहीं करने वाले नियोक्ता कम्पनियों पर कार्रवाई करने तथा मानव श्रम उपलब्ध कराने वाले एजेसियों पर लगाम लगाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। | |

**राँची,**
**दिनांक– 20 दिसम्बर, 2022 ई०।**

**सैयद जावेद हैदर**
**प्रभारी सचिव,**
**झारखण्ड विधान सभा, राँची।**

ज्ञाप सं०–प्र०ध्या०–50/2022–2412/वि० स०, राँची, दिनांक– 19/12/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं सचिव वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.22
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०–प्र०ध्या०–50/2022–2412/वि० स०, राँची, दिनांक– 19/12/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

19.12.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

**पाण्डेय**/–

19.12.22